पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो. संख्या 5 व 6 की और से श्री दिनेश पुरोहित अधिवक्ता द्वारा अपना वकालत नामा पेश किया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा गत दिनांक 01.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उनकी ओर से यह अंकित करते हुए निवेदन किया है कि हम पक्षकारान (अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 5 व 6) के मध्य अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में लोक अदालत की भावना से एक राजीनामा तहरीर व तकमील कर लिया गया है एवं विचाराधीन अपील में वर्णित उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद बाकी नहीं रहना बताया और हमने इस आशय का राजीनामा सम्पादित कर लिया है कि अगर पूर्व में विवादित जमीन का प्रथम बेचान अपीलांट के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के हो जाने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकृत किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 422 दिनांक 05.06.2020 जारी रखा जावे तो किसी भी पक्षकार को कोई उज्र एतराज नहीं होगा एवं न ही भविष्य में रहेगा। अतः प्रार्थना पत्र के संलग्न उक्त राजीनामे दस्तावेज की प्रति को रेकार्ड पर लिया जाकर विचाराधीन अपील पत्रावली को उक्त राजीनामें के अनुसरण में निस्तारित कर दी जावे तथा नामा0 संख्या 422 दिनांक 05.06.2020 को जारी रखा जावे तथा उसके सम्बन्ध में जारी अन्य सभी आदेश खारीज फरमाये जावें।

पक्षकारान (अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 5 व 6) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों/ का एवं राजीनामें का अवलोकन किया। उक्त क्रम में हम यह उचित समझते है कि लोक अदालत की भावना एवं न्याय की दृष्टि के अनुरूप राजीनामें की छायाप्रति आदेशिका की सत्यप्रति के साथ प्रेषित कर तहसीलदार आहोर को यह निर्देश प्रसारित करते है कि वे उक्त राजीनामें की तहरीर में अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इन पक्षकारान की उपस्थिति/सहमति के आधार पर पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकृत किये गये अपीलाधीन नामा0 संख्या 422 पर नियमानुसार पुनः आदेश पारित करे। पत्रावली उपरोक्तानुसार फेसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड आदेशिका की सत्यप्रति सहित लौटाया जावें। निर्णय आज दिनांक 13/07/2021 को लिखाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर